



फा. सं.: 1-9/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2012/2836-41
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(Accredited by NAAC with 'A+' Grade with CGPA of 3.42)
(सामान्य प्रशासन /General Administration)

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

धर्मशाला-176215,

दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 10(5) में वर्णित प्रावधानों एवं माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन के अनुसार अधिसूचना संख्या 1-9/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2012/4410-22 दिनांक 02 अगस्त, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय कोर्ट की संरचना का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है:-

क्र. सं.	परिनियम 10(5)(i) का उपवाक्य	की हैसियत से	सदस्य का नाम एवं पदनाम	सदस्यता की अवधि
1.	(i)	कुलाधिपति	अध्यक्ष	-
2.	(ii)	कुलपति, हि. प्र. के. वि.	पदेन सदस्य	-
3.	(iii)	प्रति कुलपति, हि. प्र. के. वि.	पदेन सदस्य	-
4.	(iv)	अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हि.प्र.के.वि.	पदेन सदस्य	-
5.	(v)	वित्त अधिकारी	पदेन सदस्य	-
6.	(vi)	परीक्षा नियंत्रक	पदेन सदस्य	-
7.	(vii)	पुस्तकालयाध्यक्ष	पदेन सदस्य	-
8.	(viii)	आवसाध्यक्ष	पदेन सदस्य	-
9.	(ix)	कुलानुशासक	पदेन सदस्य	-
10.	(x)	कुलाध्यक्ष के चार नामिती (कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा)	1. प्रो. गायत्री रैना, साइकोलॉजी विभाग, गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम मोबाइल: 8219362880 ईमेल- gayatri.raina@gurugramuniversity.ac.in 2. प्रो. सतिंदर कुमार शर्मा, कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कूल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डिजाइन और निर्माण केंद्र, आई.आई.टी., मंडी 3. प्रो. राजिंदर कुमार मोडगिल, भौतिक विज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 4. प्रो. तृप्ति गंगवार, रासायन विज्ञान विभाग, ऐ.एन कॉलेज, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	28.04.2025 से 27.04.2028
11.	उपवाक्य (xi)	उद्योग, वाणिज्य, बैंकिंग, कृषि, स्वास्थ्य एवं संस्कृति, वित्तीय संस्थानों, प्रख्यात शिक्षकों, अभियांत्रिकी/ वास्तुकला, समाज कार्य, कोर्पोरेट आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए छह प्रबुद्ध व्यावसायिक व्यक्तियों, जिन्हें विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा - सदस्य	1. प्रो. राजेश शर्मा, एमएसएमइ मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली मोबाइल: 9811824230 2. प्रो. नितिन व्यास, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला मोबाइल: 9418006194 3. प्रो. राज नेहरु, सेवानिवृत्त कुलपति, स्किल यूनिवर्सिटी, हरियाणा, मुख्यमंत्री के ओएसडी, हरियाणा मोबाइल: 9560193003 4. प्रो. शशि कांत, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला मोबाइल नो: 9418070007 5. प्रो. राज कुमार, कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 6. प्रो. नवदीप गोयल, भौतिकी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	04.04.2025 से 03.04.2028 02.08.2022 से 01.08.2025 08.05.2023 से 07.05.2026
12.	उपवाक्य (xii)	निर्वाचन के माध्यम से कोर्ट के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कार्यकारिणी परिषद द्वारा यथानिर्णित अध्ययन स्कूल के विभागाध्यक्ष/ निदेशकगण	-	-
13.	उपवाक्य (xiii)	निर्वाचन के माध्यम से कोर्ट के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कार्यकारिणी परिषद द्वारा यथानिर्णित विभागों/केन्द्रों के अधिष्ठातागण	-	-

14.	उपवाक्य (xiv)	कुलपति द्वारा वरिष्ठता के चक्रानुक्रम से नियुक्त एक प्रोफेसर, जो कि अधिष्ठाता/कुलानुशासक/विभागाध्यक्ष अथवा केंद्र निदेशक न हो।	प्रो. अम्बरीश कुमार महाजन, प्रोफेसर, पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान स्कूल।	04.04.2025 से 03.04.2028
15.	उपवाक्य (xv)	कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त एक एसोसिएट प्रोफेसर, जो अधिष्ठाता/कुलानुशासक/विभागाध्यक्ष अथवा केंद्र निदेशक न हो।	डॉ. आर.पी. राय, एसोसिएट प्रोफेसर, नव मीडिया विभाग।	04.04.2025 से 03.04.2028
16.	उपवाक्य (xvi)	शिक्षकों का प्रतिनिधि-एक (वरिष्ठता के चक्रानुक्रम में)	प्रो. डिंपल पटेल, प्रोफेसर, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग।	04.04.2025 से 03.04.2028
17.	उपवाक्य (xvii)	शिक्षकेतर कर्मियों का प्रतिनिधि-एक (विश्वविद्यालय/ संबद्ध महाविद्यालयों के नियमित कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित)	-	-
18.	उपवाक्य (xviii)	पूर्व-छात्र का प्रतिनिधि - एक(पूर्व-छात्र संघ द्वारा निर्वाचित)	डॉ. अमित कटोच सत्र-2017, यात्रा एवं अतिथि प्रबंधन विभाग ईमेल- dramitkatoch2007@gmail.com मोबाइल: 8091735835	एक शैक्षणिक सत्र के लिए
19.	उपवाक्य (xix)	विद्यार्थियों के प्रतिनिधि - दो (विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा उनमें से ही निर्वाचित एक पुरुष एवं एक महिला)	• सुश्री पायल शर्मा, CUHP23MYS06, योग अध्ययन ईमेल- payasharma12526@gmail.com मोबाइल: 7876072017 • श्री हेमराज, CUHP23MAHINDI10, हिंदी विभाग ईमेल- hemrazz6713@gmail.com मोबाइल: 7018596106	एक शैक्षणिक सत्र के लिए
20.	उपवाक्य(xx)	कुलसचिव	पदेन सदस्य सचिव	-

पदेन सदस्यों को छोड़कर कोर्ट के सभी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी। कोर्ट की बैठक के लिए कम से कम दो बाहरी सदस्यों सहित एक-तिहाई संख्या कोरम को पूरा करेंगी।



(प्रो. सुमन शर्मा)
कुलसचिव

दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

पृष्ठांकन: समसंख्या

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु:

1. संयुक्त सचिव(सी.यू.), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001.
2. संयुक्त सचिव(सी.यू.), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली - 110002.
3. वित्त अधिकारी, हि.प्र.के.वि. धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि.प्र.।
4. संबंधित सदस्य।
5. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, हि.प्र.के.वि. धर्मशाला -कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाइल।



कुलसचिव